

संख्या 14/5-1-आव/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन-2017-18/पौड़ी दिनांक: अप्रैल 4 2017

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-102/XXIII/2017/04(01) 2016 दिनांक 30 मार्च 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 आवकारी नीति के प्रख्यापन में बिलम्ब के दृष्टिगत वर्ष 2016-17 की अधिसूचना संख्या-118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 एवं अधिसूचना संख्या-288/XXIII/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 19.04.2016 के अनुसार दिनांक 1.4.2017 से 30.4.2017 तक के लिए अस्थाई रूप से नवीनीकरण/व्यवस्थापित करने के आदेश दिये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या- 12164-12166 ऑफ 2016 के पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय /राजमार्गों से 500 मीटर दूर मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन सुनिश्चित करते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 1.4.2017 से 30.4.2017 तक मदिरा का राजस्व निर्धारित किया गया है।

जनपद पौड़ी में अव्यवस्थित विदेशी मदिरा दुकानों को सम्पूर्ण राजस्व पर दैनिक आधार पर चलाये जाने हेतु इच्छुक आवेदक जिला आवकारी अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को सांय 5.00 बजे तक आवेदन निम्न शर्तों के अधीन कर सकता है जो कि प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर किया जायेगा-

1. यह कि आवेदक जनपद पौड़ी को निवासी हो तथा अपने आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र व पहचान पत्र के रूप में भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र/झाईविंग लाइसेंस/पैन कार्ड /मूल/स्थाई निवास,फोटोयुक्त बैंक खाते की पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
2. जिस आवेदक का दैनिक आधार पर दुकान चलाये जाने हेतु अधिक राजस्व का प्रस्ताव होगा उसी आवेदक को दुकान चलाये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

जनपद की अव्यवस्थित विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण राजस्व सहित निम्नवत् है:-


क्र0सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	माह अप्रैल 2017 (दिनांक 1.4.2017 से दिनांक 30.4.2017 तक) एक माह हेतु लाइसेंस फीस	माह अप्रैल 2017 (दि01.4.2017 से दि0 30.4.2017 तक)हेतु निर्धारित न्यूनतम गा0 अभिकर(MMGD) रू0 में	वर्ष 2017-2018 माह अप्रैल 2017 (दि0 1.4.2017 से दि0 30.4.2017 तक का कुल राजस्व)
1	पौड़ी	572667	6585498	7158165
2	श्रीनगर	844250	9708452	10552702
3	पावौ	191750	2205105	2396855
4	सबदरखाल	67833	780027	847860
5	कल्जीखाल	73917	850534	924451
6	खिर्सू	63500	730574	794074
7	अगरोडा	36250	416560	452810
8	गुमखाल	43000	494617	537617
9	संगलाकोटी	60333	694349	754682
10	पाटीसैण	71333	820799	892132
11	सतपुली	196750	2262502	2459252
12	दुगड्डा	120083	1380931	1501014
13	कोटद्वार	732500	8424242	9156742
14	नौगांवखाल	91083	1047383	1138466
15	पोखाल	60917	700735	761651
16	चैलूसैण	56667	652035	708702
17	बैंजरों	104250	1198960	1303210
18	काण्डी/विनक	57750	664415	722165
19	जडाउखांद	84750	974413	1059163
20	दिगोलीखाल	25583	293910	319493
21	बुंगीधार	70750	813872	884622
22	सिलोगी	59083	679746	738830

जिला आवकारी अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अपने कार्यालय के सूचना बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु चस्पा करने का कष्ट करें।

1. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा/अमर उजाला पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम स्थान पर दिनांक 5.4.2017 को अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय/जिला आवकारी अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

3. जिला सूचना अधिकारी पौड़ी को सूचना दी


जिला आवकारी अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।